भारत सरकार के निर्देश के क्रम में ''ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रमों के मांनिटरिंग हेतु श्री सुधीर कुमार गुप्ता, उप सचिव, गृह मंत्रालय ,भारत सरकार वं श्री सुरेन्द्र कुमार ,अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय ,भारत सरकार द्वारा नोडल अधिकारी के रूप में जनपद सिद्धार्थनगर,उ0प्र0 के ग्राम बेदौली कला विकास खण्ड–मिठवल,जनपद सिद्धार्थनगर का दिनांक 21.4.2018 को किये गये निरीक्षण से सम्बन्धित कार्यवृत्त–

आज दिनांक 21.4.2018 को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारत सरकार के निर्देश के क्रम में '' ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रमों के मांनिटरिंग हेतु अधोहस्ताक्षरी द्वारा नोडल अधिकारी के रूप में जनपद सिद्धार्थनगर, उ0प्र0 के ग्राम बेदौली कला विकास खण्ड–मिठवल,जनपद सिद्धार्थनगर का निरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार किया गया।

मेरे द्वारा भारत सरकार की सात योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से बताते हुए यह कहा गया कि भारत सरकार से उ0प्र0सरकार में इन चली योजनाओं पर उ0प्र0सरकार द्वारा वास्तविक रूप में कितनी कार्यवाही गांव में हुयी है इसकी समीक्षा करने के लिए मै आया हूँ।भारत सरकार के 07 कार्यक्रमों को शामिल करते हुए उ0प्र0सरकार द्वारा कुल 16 कार्यक्रम चलाये गयें है। यह सभी कार्यक्रम गांव के लोगो तक बगैर किसी भेद–भाव के पहुचाये जायेगे।

निरीक्षण के समय जिला विकास अधिकारी,सिद्धार्थनगर श्री सुदामा प्रसाद व लीड बैंक आफिसर श्री ओम प्रकाश अग्रहरि ,श्री नरेन्द्र मणि त्रिपाठी,जिलापूर्ति अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी, मिठवल श्री शौकलाल, श्री अनिल सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी,सिद्धार्थनगर, प्रभारी चिकित्साधिकारी पी0एच0सी0 बांसी., अधिशासी अभियन्ता,विद्युत,बांसी उपस्थित रहे। उपस्थित अधिकारियों का परिचय जिला विकास अधिकारी द्वारा उपस्थित ग्रामवासियों से कराया गया और उपस्थित ग्रामवासियों को अब तक की प्रगति से अवगत कराया गया और पूछताछ के माध्यम से अब तक हुए कार्यो का सत्यापन भी किया गया। उपस्थित अधिकारियों को अपने–अपने विभाग से सम्बन्धित योजनाओं के बारे में उपस्थित ग्रामवासियों को अवगत कराने के निर्देश दिए गए,जिसमें कार्यक्रमवार निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा अपने विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया। कार्यक्रमवार विवरण निम्नवत् है:–

1.सौभाग्य (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना)– विवरण से स्पष्ट हुआ कि इस ग्राम में लोगो द्वारा विद्युत कनेक्शन कम लिए गये है। इसके लिएं अधिशाषी अभियन्ता,विद्युत द्वारा विस्तृत रूप से लोगों को बताया गया। उनके द्वारा बताया गया कि इस गांव के काफी लोगो को विद्युत कनेक्शन दे दिये गये है।शेष लोगो को कनेक्शन के लिए दिनांक 23.04.2018 को इसी विद्यालय परिसर पर कैम्प का आयोजन किया गया है।जिसमें सभी लोगो को फार्म आदि

भरवा कर दे दिये जायेगे। उपस्थित लोगो द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत के सूर्यकुड़िया पूरवे में बिजली नही है। अधि0अभियन्ता द्वारा आश्वस्त किया गया कि वह दिनांक 05.05.2018 तक विधुत पोल खड़ा कर लोगो के कनेक्शन उपलब्ध करा देगे। निर्देश दिये गये कि किसी भी घर व किसी भी पुरवे में कटिया कनेक्शन नहीं होने चाहिए। सभी पुरबे के सभी घर को बिजली कनेक्शन दिये जाने के आदेश दिये गये। उपस्थित लोगों से बिजली बिल को समय से जमा करने के संबंध में भी बताया गया। अभियन्ता,विद्युत को स्पष्ट किया गया कि मेरे द्वारा दिनांक 28.4.2018 को इस ग्राम का पुनः भ्रमण किया जायेगा,उसके पूर्व सभी कार्य अवश्य पूरा करा लिये जाये,अन्यथा की स्थिति में उनके विरूद्ध कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों को लिखा जायेगा।

2.उजाला योजना— इस कार्यकम के बारे में अधिशाषी अभियन्ता,विद्युत द्वारा विस्तृत रूप से उपस्थित जन समुदाय को बताया गया कि एलईडी वल्व व पंखे कमशः 60.00 रू0 व 1200.00 रू0 में एक बोर्ड व 03 साकेट एवं 10 मीटर तार के साथ दिये जायेगें,जो कम वोल्टेज से चलेगें और बिजली की खपत कम होगी,जिससे अन्य लोगों को भी बिजली का लाभ दिया जा सकेगा। उनके द्वारा बताया गया कि वह दिनांक 22.4.2018 को सर्वे एवं दिनांक 23.4.2018 को विद्युत कनेक्शन के लिए कैम्प इसी विद्यालय परिसर में उनके द्वारा आयोजित किया जायेगा। उपस्थित लोगों को कैम्प में भाग लेकर लाभ उठाने हेतु कहा गया।

3.प्रधानमंत्री उज्जवला योजना— जिलापूर्ति अधिकारी,सिद्धार्थनगर श्री नरेन्द्र मणि तिवारी द्वारा विस्तृत रूप से उपस्थित लोगों को इस योजना के बारे में बताया गया। उपस्थित ग्राम के महिलाओं द्वारा बताया गया कि अधिकांश महिलाओं को गैस कनेक्शन मिल चुके है और उनका प्रयोग भी वह सावधानी से कर रही है। उपस्थित जन समूह के समक्ष जिलापूर्ति अधिकारी को निर्देश दिये गये कि जो लोग छूट गये है,उनका सर्वे तत्काल कराकर तथा शिविर लगाकर गैस कनेक्शन दिये जाये। जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा बताया गया कि वह दिनांक 22.4.2018 को शिविर लगाकर पात्र व्यक्तियों का चयन कर गैस कनेक्शन वितरित करायेगें। इसके लिए शिवम गैस एजेन्सी के उपस्थित प्रोपराइटर को निर्देशित किया कि दि0 22.04.2018 को कैम्प लगा कर गांव के समस्त अनुसूचित जाति एवं अनु0जन जाति तथा अन्त्योदय कार्ड—धारक व प्रधानमंत्री आवास योजना से आच्छादित लाभार्थी पात्रता की श्रेणी में आते है,उन्हें ही निःशुल्क गैस कनेक्शन दिये जायें। सभी लाभार्थी घर की मुखिया महिला रहेगी।कैम्प में 2फोटो,परिवार के सदस्यो के 2 आधार कार्ड,व आई0डी0 की प्रति साथ लाना होगा।

4.प्रधानमंत्री जन धन योजना— इस ग्राम में जन धन योजना के अन्तर्गत खाते कम खुले है। इस योजना के बारे में लीड बैंक आफिसर श्री ओम प्रकाश अग्रहरि द्वारा विस्तृत रूप से उपस्थित जन समूह को बताया गया कि इस गांव के लिए भारतीय स्टेट बैंक,शाखा पथरा बाजार व

पूर्वांचल ग्रामीण बैंक द्वारा दिनांक 24.4.2018 दिन मंगलवार को इसी विद्यालय परिसर में कैम्प लगा कर शून्य बैलेन्स पर जन धन योजना के अन्तर्गत लोगों के खाते खोले जायेगे,जिसमें दो फोटो व आधार कार्ड व आई.डी. लाना होगा। कोई धनराशि नहीं लगेगी,खाते वगैर पैसे के खोले जायेगें । इसके साथ ही खाते के नियमित प्रयोग के बारे में लोगों को जागरूक किया गया,जिसके तहत बताया गया कि नियमित लेन देन करने से इस खाते में सब्सिडी की धनराशि आ पायेगी।

5.प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना— लीड बैंक आफिसर द्वारा इस योजना के बारे में भी विस्तृत रूप से बताया गया कि इस योजना में 330/— रू0 वार्षिक प्रीमियम देने पर परिवार के मुखिया की किसी भी प्रकार से मृत्यु हो जाने की स्थिति में 2.00 लाख रू0 रिस्क कवर करता है। इसमें अधिक से अधिक परिवार को निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया।

6. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना— इस योजना के बारे में लीड बैंक आफिसर द्वारा विस्तृत रूप से बताया गया कि बहुत कम प्रीमियम रू0 1/— प्रति माह वर्ष में 12/— रू0 देने पर रू0 2.00 लाख का दुर्घटना बीमा परिवार के मुखिया के लिए रिस्क कवर करेगा । इस कल्याणकारी योजना में लोगों को अधिक से अधिक संख्या में निवेश कर लाभ उठाने के बारे में बताया गया।

7.मिशन इन्द्रधनुष— प्रभारी चिकित्साधिकारी अपने विभाग के आशा बहू व एएनएम के साथ उपस्थित रहे। उनके द्वारा इस योजना के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया कि गांव के प्रत्येक घरो का सर्वे करा लिया गया है,जिसमें से 0—1 व 0—2 वर्ष के आयुवर्ग के कुल 68 बच्चे है,जिनका चिन्हीकरण कर लिया गया है। ,जिसमें 0—1 वर्ष आयु वर्ग के 23 बच्चे व 0—2 आयुवर्ग के 09 बच्चे है। इन्हें टीका दिनांक 24.04..2018 को लगाया जायेगा,कुल 34 गर्भावती महिलाओं को चिन्हीकृत किया गया है,जिसमें से 04 महिलाओ का टीकाकरण दिनांक 24.4.2018 को किया जायेगा। टीकाकरण कैम्प इसी विद्यालय में दिनांक 24.4.2018 को आयोजित किया जायेगा। प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा लोगों को बताया गया कि टीकाकरण का कार्य अवश्य कराये।इससे बच्चे पोलियोमुक्त,टी.बी.मुक्त एवं अन्य बीमारियों से मुक्त होगें।

बालविकास परियोजना अधिकारी द्धारा अवगत कराया गया कि पोषाहार की आपूर्ति नही हो रही है।बच्चो के माताओं को बता दिया गया है कि अपने अपने बच्चे को पोष्टिक आहार दे और टीकाकरण का कार्य समय से कराये।टीकाकरण का कार्य निशुल्क होगा उनके द्धारा यह भी अवगत कराया गया कि टीकाकरण का स्थल माइक्रोप्लान में श्री हरीशचन्द्र के घर पर निर्धारित है।उन्हे टीकाकरण का कार्य इसी विद्यालय परिसर में स्थित आगनवाड़ी केन्द्र पर दिनांक 24.04.2018 को करने का कहा गया।जिला विकास अधिकारी द्धारा जच्चा बच्चा कार्ड भी लोगो को बनवाने के लिए प्रेरित किया गया इस जच्चा बच्चा कार्ड में कौन से टीके लगने है सभी टीका का नाम अकित रहता है।

प्रभारी चिकित्साधिकारी एवं आशाबहू व एएनएम को निर्देश दिये गये कि इस कार्यकम में कोई कमी न रहने पाये और टीके समय पर सभी पात्र लोगों को अवश्य लगे। बैठक में गांव के सभी लोग उपस्थित नहीं हो पाये थे। उपस्थित खण्ड विकास अधिकारी को निर्देश दिये गये कि वह गांव में डुग्गी मुनादी करके लोगों को सूचित कराये और सभी कार्यकमों के सफल बनाने हेतु लोगों को जानकारी देकर जागरूक करें और सभी कार्य 10 दिन के अन्दर पूर्ण करा लें।

उपरोक्त केन्द्र सरकार की योजनाओं के साथ साथ प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही निम्नलिखित योजना के प्रगति की बिन्दुवार समीक्षा भी की गयी। बिन्दुवार स्थिति निम्नवत् पायी गयीः—

1.स्टार्ट अप इण्डिया 2. स्टैण्ड अप इण्डिया — इस योजना के बारे में लीड बैंक आफिसर द्वारा विस्तृत रूप से उपस्थित लोगों को बताया गया कि जो बेरोजगार युवक कोई रोजगार करना चाहते है,उन्हें बैंक बिना किसी गारण्टर के 10.00 लाख रू0 देगी। यदि किसी युवक का रोजगार चल रहा था,परन्तु पैसे के अभाव में रूक गया है,उन्हें भी इस योजना के अन्तर्गत रोजगार को पुनः चलाने के लिए धनराशि वगैर किसी गारण्टर के दिया जायेगा।उपस्थित महिला से कहा कि वे स्वंय सहायता समूह बनाकर उद्योग लगाने हेतु ऋण निकट के शाखा बैंक से प्राप्त कर सकते है। इसके लिए उपस्थित शाखा प्रबन्धक को इस योजना के क्रियान्वयन के निर्देश दिये गये।

2. पेंशन योजना— सभी प्रकार के पेंशन पति के मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन,वृद्धावस्था पेंशन,दिव्यागजन सशक्तीकरण आदि पेंशन के बारे में विस्तृत रूप से जिला विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि अब उन्हें पेंशन फार्म भरने के लिए आफिस—आफिस दौडने की आवश्यकता नहीं है। वह अपने निकटवती बाजार में जाकर कम्प्युटर की दुकान से अपने साथ फोटो व पासबुक की प्रति तथा आधार कार्ड व आई.डी. की प्रति लेकर फार्म को भरवा सकती है,वह फार्म स्वतः सम्बन्धित अधिकारियों के पास चला जायेगा और जल्दी ही पात्र पाये जाने पर उनका पेंशन स्वीकृत हो जायेगा।

4. प्रधानमंत्री आवास योजना— इस बारे में जिला विकास अधिकारी द्वारा विस्तृत रूप से उपस्थित लोगों को बताया गया कि वर्ष 2022 तक प्रत्येक पात्र व्यक्ति को आवास मिल जायेगा।वह अपने पास आवास न होने की सूचना खण्ड विकास अधिकारी को अवश्य दे दें।

5. पेय जल योजना— जिला विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि अब रीबोर का कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से होगा और सभी खराब व रीबोर योग्य नलों को खण्ड विकास अधिकारी अपने ग्राम प्रधानों के माध्यम से तत्काल ठीक करायेगें।

6. राशन कार्ड— जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान समय में चल रहे राशनकार्ड की सूची पूर्ति निरीक्षक कल दिनांक 22.4.2018 तक खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध करा

दें,जिनके द्वारा राजस्व कर्मियों के सहयोग से पात्र व्यक्तियों का राशन कार्ड यथावत रखेगें और अपात्र व्यक्तियों का सूची से नाम काट कर उनके स्थान पर नये व्यक्तियों की सूची तैयार कर उन्हें उपलब्ध करायेगें,जिससे पात्र व्यक्ति को ही खाद्यान्न मिल सकें।

7. अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु शादी अनुदान योजना—समाज कल्याण अधिकारी के उपस्थित न रहने पर जिला विकास अधिकारी द्वारा इस योजना के बारे में विस्तृत रूप से लोगों को बताया गया। इसमें प्रदेश सरकार द्वारा सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है,जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लिए नोडल अधिकारी सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी है और शहरी क्षेत्र के नोडल अधिकारी सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी है। इसमें पात्र लाभार्थियों को रजिस्ट्रेशन कराना पडता है,जिसकी आवश्यक जांच के बाद उन्हें सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। इसमें बर—वधू को अपनी गृहस्थी चलाने हेतु सामान व नकद धनराशि भी सरकार द्वारा दिये जाने का प्राविधान है। व्यक्तिगत रूप से शादी करने पर प्रत्येक परिवार को 20000.00 रू0 की आर्थिक सहायता उनके बैंक खाते में सरकार द्वारा दिया जाता है।

8. अनुसूचित जाति/जन जाति हेतु निःशुल्क बोरिगं योजना— सहायक अभियन्ता,लघु सिंचाई निरीक्षण के समय उपस्थित नहीं थे। जिला विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि अनुसूचित जाति/जन जाति के लघु किसानों के खेतो की सिंचाई हेतु निःशुल्क बोरिगं करायी जाती है,जिसके लिए कोई शुल्क नहीं देना पडता है।

9.प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना— इस योजना के बारे में श्री चन्द्र प्रकाश सिंह,जिला कृषि अधिकारी द्वारा विस्तृत रूप से उपस्थित जन समूह को बताया गया। उनके द्वारा लोगों को बताया गया कि सभी किसान जो के.सी.सी.धारक इस योजना से स्वतः आच्छादित हो जाते है। अन्य कृषक जो ऋण लेना नही चाहते है,उन्हें गैर ऋणी बीमा योजना के नाम से जाना जाता है, उन्हें खरीब की लागत प्रति हेक्टेयर 4700.00 रू0 का 2 प्रतिशत व रबी फसल की लागत का 57000.00 का 1.5 प्रतिशत प्रामियम देना पडेगा है।

इस जनपद में बजाज कम्पनी को फसल बीमा कराती है। यदि बाढ,सूखा से फसल नष्ट हो जाती है तो उसका लाभ किसानों को मिलेगा। प्राकृतिक तरीके से आग लग जाने व आंधी में फसल के उड जाने पर भी बीमित राशि किसानों को उनके बैंक खाते के माध्यम से मिलेगी।

निर्देश दिये गये कि कृषि विभाग व बैंक के अधिकारी गांव में आकर गांव के लोगों का फसार्म भरवा कर बीमा करायेगें।

जिला कृषि अधिकारी द्वारा बताया गया कि उनके स्तर से रोटावेटर,कृषि यन्त्र पर भी अनुदान दिया जाता है,जिसका लोग लाभ उठावे।

जिला कृषि अधिकारी द्वारा बताया गया कि मा0प्रधान मंत्री जी के निर्देश को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप किसानों के आय को दोगुना करने की दृष्टि से किसानों को निःशुल्क उपजाऊ बीज देते है। डीबीटी के माध्यम से जनपद के 3000 किसानों को लाभ दिये जाने हेतु चयन किया गया है,जिन्हें सब्सिडी बैंक खाते के माध्यम से दी जायेगी।

उपस्थित लोगो से मृदा परिक्षण के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्य रूप से यह कहा गया कि मृदा परिक्षण से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपके खेत मे कौन से तत्व की कमी है जिसके लिए कौन से उर्वरक डालने होते है। मृदा परीक्षण कराने से किसानो के आय में निश्चित रूप से बढोत्तरी होगी।

जिला कृषि अधिकारी द्वारा लोगों से आग्रह किया गया कि वर्तमान समय में अपने खेत के गेहूं के अवशेष को न जलाये,इससे मृदा के नष्ट होने की संभावना रहती है,जिससे आगामी वर्षो में पैदावार कम हो जायेगी। उनके द्वारा डण्ठल जलाने वालों के विरूद्ध सरकारी द्वारा अर्थदण्ड व सजा के प्राविधानों को भी बताया गया।

निरीक्षण से स्पष्ट हुआ कि गांव में सभी मदो में कार्य हुए है,परन्तु अभी अधिकारियों के पूर्ण मनोयोग व निष्ठा से लग कर लक्ष्य की अवशेष समय में शतप्रतिशत पूर्ति हेतु कार्य–योजना बनाकर उसे पूरा करने की आवश्यकता है। उपस्थिति अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिए गए।

(सुरेन्द्र कुमार)
अवर सचिव,रक्षा मंत्रालय,भारत सरकार/
नोडल अधिकारी,सिद्धार्थनगर।

(सुधीर कुमार गुप्ता),
उप सचिव,गृह मंत्रालय,भारत सरकार/
नोडल अधिकारी,सिद्धार्थनगर।

कार्यालय नोडल अधिकारी(भारत सरकार से सम्बन्धित कार्यक्रम)कैम्प सिद्धार्थनगर

संख्या– 243 /कै0सि0/18–19/ दिनांक 21.04.2018
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1– जिलाधिकारी,सिद्धार्थनगर।
2–मुख्य विकास अधिकारी,सिद्धार्थनगर।
3 जिला विकास अधिकारी ,सिद्धार्थनगर को इस आशय से प्रेषित की इस कार्यवृत्त की प्रति को कार्यक्रम से सम्बन्धित सभी अधिकारियों को समय से कार्य की पूर्ति हेतु उपलब्ध करा देवे।

(सुधीर कुमार गुप्ता),
उप सचिव,गृह मंत्रालय,भारत सरकार/
नोडल अधिकारी,सिद्धार्थनगर।